

कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर ।

भवन मानचित्र समिति-द्वितीय §सीपीसी§ की बैठक सं० 20/2000 दिनांक 18-2-2000 को सायं 4.00 बजे जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई, का कार्यवाही विवरण :-

समिति के निम्न सदस्यों ने बैठक में भाग लिया :-

- 1- श्री के.पी. सिंघल, सचिव, जविप्रा, जयपुर ।
- 2- श्री ए.के. गुप्ता, निदेशक §आयोजना§ जविप्रा, जयपुर ।
- 3- श्री पी.आर. शर्मा, निदेशक §वित्त§ जविप्रा, जयपुर ।
- 4- श्री एस.एल. माथुर, निदेशक §अभियंत्रिकी§ जविप्रा, जयपुर ।
- 5- श्री ए.एन. भार्गव, वरिष्ठ नगर नियोजक §सीपीसी§ जविप्रा, जयपुर ।

बैठक में निम्न अधिकारी भी उपस्थित थे :-

- 1- श्री पी. अरविन्द, वरिष्ठ नगर नियोजक §एम.पी. § जविप्रा, जयपुर ।
- 2- श्री अनिल गुप्ता, उपायुक्त, जोन बी-2, जविप्रा, जयपुर ।
- 3- श्री ओ.पी. खड्गावत, उपायुक्त, जोन बी-3, जविप्रा, जयपुर ।
- 4- श्री वासुदेव शर्मा, प्राधिकृत अधिकारी, जोन बी-1, जविप्रा, जयपुर ।
- 5- श्री ललित कुमार शर्मा, प्राधिकृत अधिकारी, जोन बी-3, जविप्रा, जयपुर ।
- 6- श्री प्रेमशंकर, उप नगर नियोजक §सीपीसी§ जविप्रा, जयपुर ।
- 7- श्री हरिप्रसाद शर्मा, सहायक नगर नियोजक, बी-3, जविप्रा, जयपुर ।
- 8- श्री मुकेश मित्तल, सहायक नगर नियोजक §सीपीसी§ जविप्रा, जयपुर ।
- 9- श्री प्रभात गौस्वामी, जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर ।

§1§ बीपीसी-11 §सीपीसी§ की पूर्ववर्ती बैठक सं० 19/2000 दिनांक 17-2-2000 के कार्यवाही विवरण की पुष्टिकरण हेतु :-

समिति द्वारा पुष्टि की गयी ।

§2§ विभिन्न उपायुक्त जोन द्वारा प्रस्तुत प्रकरणों पर विचार-विमर्श कर निम्न निर्णय लिये गये :-

- 2.1- एजेण्डा सं० 20/2000-1 :- शंकर भवन गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना कैलाशपुरी § जोन बी-3 § :-

- 2 -

क्रिया । जिसमें समिति ने 20 फिट एवं 25 फिट की रोड़ दर्शा रखी है । उन्हें 30 फिट करने एवं मुख्य कालवाड़ रोड़ को 160 फिट रखने एवं सैक्टर रोड़ को 80 फिट रखने का निर्णय लिया गया । इसके अतिरिक्त भूखण्ड सं० 8, 14, 15 एवं 16 को क्रम निर्मित क्षेत्रफल मिलने के कारण अनुमोदित नहीं किया गया । पूर्व अनुमोदित मानचित्र में सड़कों की चौड़ाई 30 फिट रखते हुए आवासीय क्षेत्र 60 प्रतिशत अंकित किया हुआ था परन्तु मौके की स्थिति के अनुसार एवं सड़कों की चौड़ाई 30 फिट रखने के पश्चात् आवासीय क्षेत्र 60.1 प्रतिशत मिलता है । तथा सुविधा क्षेत्र छोड़ने के लिए कोई भूभाग उपलब्ध नहीं होता है । अतः समिति द्वारा राज्य सरकार के आदेश दिनांक 10-7-99 के क्रम में शिथिलता देते हुए योजना में आवासीय क्षेत्र 68.1 प्रतिशत स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया ।

बैठक अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद के साथ सम्पन्न हुई ।



सदस्य सचिव,

भवन मानचित्र समिति-द्वितीय सीपीसी


जविप्रा, जयपुर ।

क्रमांक: एफ-11/14/जविप्रा/वननि/सीपी/20/2000/डी- 54

दिनांक : 19. 2. 2000

प्रतिलिपि:-

- 1- वरिष्ठ निजी सचिव, आयुक्त, जविप्रा, जयपुर ।
- 2- निजी सचिव, सचिव, जविप्रा, जयपुर ।
- 3- निदेशक आयोजना/विधि/वित्त/अभियंत्रिकी जविप्रा, जयपुर ।
- 4- अति० आयुक्त भूमि एवं योजनाएं जविप्रा, जयपुर ।
- 5- वरिष्ठ नगर नियोजक एम.पी. जविप्रा, जयपुर ।
- 6- उपायुक्त/प्राधिकृत अधिकारी/सहायक नगर नियोजक, जोन बी-3, जविप्रा, जयपुर ।
- 7- जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर ।



सदस्य सचिव,

भवन मानचित्र समिति-द्वितीय सीपीसी